संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अस्प.प्रशा./सेल–6/2014/666 भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः–झोलाछाप डॉक्टरों के विरूद्ध कार्यवाही।

संदर्भः–1.आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य का पत्र क्रं.अ.प्र./सेल–4/08/एफ/292/1044, दिनांक 25/02/2008
2.आयुक्त स्वास्थ्य का पत्र क्रं.अ.प्र./सेल–6/2011/एफ–292/1084, दिनांक 26/08/2011
3.संचालक स्वास्थ्य सेवायें का पत्र क्रं.अ.प्र./सेल–6/2012/907, दिनांक 05/12/2012

——00——

प्रदेश में केवल ऐलोपैथिक पद्धति में योग्यताधारी व मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत चिकित्सक की रोगियों को ऐलोपैथिक से उपचार दे सकते है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश में नर्सिंग होम के अन्तर्गत ऐसे सभी चिकित्सालय, नर्सिंग होम्स तथा क्लीनिक्स का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, कि उनके जिले में ऐसे सभी निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम तथा क्लीनिक्स को पंजीकृत किया जाए व ऐसे सभी निजी चिकित्सालय नर्सिंग होम तथा क्लिीनिक्स जिनके द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के अतंर्गत पंजीकृत नहीं कराया गया है, और ऐसे अपात्र व्यक्ति जो बिना योग्यता के रोगियों को ऐलोपैथिक पद्धति से उपचार कर रहे हैं, (सामान्य भाषा में जिन्हें झोलाछाप डॉक्टर कहा जाता है) के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। इस संबंध में संदर्भित पत्रों द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है।

प्रदेश में कई जिलों से अपात्र व्यक्तियों द्वारा रोगियों की ऐलोपैथिक पद्धति से उपचार करने की शिकायतें प्राप्त हुई है। हाल ही में जबलपुर जिले में एक झोलाछाप चिकित्सक द्वारा एक महिला की कथित बच्चेदानी की शल्यक्रिया करने का मामला सामने आया है। यह गंभीर मामला है, तथा विभाग द्वारा इसे गंभीरतापूर्वक लिया गया है, एवं संबंधित झोलाछाप डॉक्टर के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है, तथा धार जिले के धामनोद नगर में भी झोलाछॉप डॉक्टरों के द्वारा डेढ़ माह के बच्चे को गलत दवाईयां देने से बच्चे की मौत का मामला सामने आया है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में किसी अपात्र व्यक्ति द्वारा किसी रोगी को ऐलोपैथिक पद्धति से उपचार/ऑपरेशन आदि किये जाने तथा इससे रोगी को दुष्प्रभाव होने अथवा मृत्यु होने की कोई शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाये। ऐसा कृत्य गैर कानूनी एवं दण्डनीय अपराध होने के कारण प्रारम्भिक जांच करने के उपरान्त मृत्यु के प्रकरणों में ऐसे अपराधियों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 304 के अंतर्गत एफ.आई.आर. भी दर्ज करायें।

विभाग द्वारा जिलों में हो रही मातृ एवं चिकित्सालयों में हो रही मृत्यु के प्रकरणों में डेथ–ऑडिट करने के निर्देश दिये गये है। ऐसे सभी प्रकरणों में विस्तारपूर्वक जांच की जाये, कि ऐसे प्रकरणों में किस चिकित्सक द्वारा मृत रोगी का उपचार किया गया, तथा क्या वह चिकित्सक रोगी को ऐलोपैथिक पद्धति से चिकित्सा देने के लिए योग्य एवं अधिकृत था? उपरोक्त चिकित्साक द्वारा रैफर किया गया या नहीं इसकी भी जांच की जाये। अपात्र व्यक्ति द्वारा उपचार किये जाने पर उनके विरूद्ध उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही की जायें। पात्र चिकित्सक द्वारा उपचार के दौरान गंभीर लापरवाही पायी जाने पर उनके विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही करें।

उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जायें।

आयुक्त, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।

संचालक
(अस्पताल प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/अस्प.प्रशा./सेल–6/2014/667 भोपाल, दिनांक 05/04/2014

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र., भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम., बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश।
6. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।

संचालक
(अस्पताल प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश